

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

86 / 2015
03.08.2015

- 1-रमेश पुत्र रधुनाथ जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
- 2-रामसहाय पुत्र रधुनाथ जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
- 3-हीरालाल पुत्र रधुनाथ जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
- 4-नाथूलाल पुत्र मोहरुराम जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
- 5-सीताराम पुत्र मोहरुराम जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक

-अपीलान्ट्स

बनाम

- 1-प्रभू पुत्र भवंरलाल जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
- 2-बद्री पुत्र भवंरलाल जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
- 3-राम कुंवार पुत्र भवंरलाल जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
- 4-रामकरण पुत्र भवंरलाल जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
- 5-रंगलाल पुत्र भवंरलाल जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
- 6-गुलाब बेवा भवंरलाल जाति बैरवा निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक
- 7-सणगारी पुत्री भवंरलाल पत्नि आन्नदीलाल निवासी दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक

-रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार निवाई दिनांक 14.03.2015 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी प्रभू आदि बनाम रमेश आदि

- उपस्थिति . (1) श्री शहाब अहमद, अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री कमलेश कुमार चौहान, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 20.10.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 14.03.2015 को अपीलान्ट्स को आराजी खसरा नंबर 139/1 रकबा 5 बीघा 7बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा वाले ग्राम दत्तवास पर अपीलान्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज० कश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत चेकखल करने का तथा लगान के 50 गुणा राशि शांति के रूप में दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश का विधि विधान एवं तथ्यों का प्रतिकृत्य बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।



जिला कलेक्टर
टोंक

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पान्डेन्ट ने अपीलान्ट के विरुद्ध तहसीलदार निवाई के यहां धारा 183 (बी) का एक आवेदन पेश किया था कि आराजी खसरा नम्बर 139/1 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम दत्तवास तहसील निवाई की भूमि रेस्पान्डेन्ट की खातेदारी की भूमि है, जिसमें 2 बीघा 10 बिस्वा पर अपीलान्ट का कब्जा है, जिसके तहत 183 (बी) का रेस्पोंडेण्ट ने सक्षम न्यायालय में आवेदन पेश किया है। अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित हुए, परन्तु अपीलान्ट के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करमे हुये अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेण्ट का आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2015 को स्वीकार कर निर्णय में अपीलान्ट को बेदखल करने, लगान का 50 गुना 94 रुपये को शांति आरोपित कर अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का उल्लेख किया है। अपीलान्ट के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। निर्णय में पटवारी हल्का की रिपोर्ट का जो अंकन है वह गलत है। मौके पर अपीलान्ट का 20 साल से अधिक समय से कुआ खुदा हुआ है, उसका रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि हल्का पटवारी ने मनमाने ढंग से गलत रिपोर्ट तैयार की है और ऐसी गलत रिपोर्ट पर न्यायालय को कोई विश्वास नहीं करना चाहिये था। रेस्पोंडेण्ट को दिनांक 20.07.1971 को खसरा नम्बर 139/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके ग्राम दत्तवास में आवंटन हुई थी। आवंटन के विरुद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) का आवेदन किया था। वर्तमान में भी उक्त वाद न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर 60 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा है। अपीलान्ट ने 20 वर्ष पूर्व निरक्षरी पुत्र बलवन्त भीणा से उक्त भूमि पर कुआ खुदवाया था जिसमें लगभग एक लाख रुपये खर्च हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग जजमेन्ट की तारीफ में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की न तो साक्ष्य ली ना ही दरतावेजात के आधार पर निर्णय लिया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट्स ने जवाबी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोंडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलान्ट्स का नाजायज कब्जा होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स का बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोंडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। धारा 183 बी के प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के हित में सरसरी जांच करके तुरन्त सहायता दिलाने के उद्देश्य से बनाये गये है। अपीलान्ट्स ने रेस्पोंडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर फसल काश्त कर कब्जा / अभिभाषकगण कर रखा है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर लिया गया है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर, मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक विचारण किया गया। नकल जमावंदी संख्या 2059-62 वाके ग्राम



जिला कलेक्टर
टोक


दत्तवास तहसील निवाई में आराजी खसरा 139/1 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि रेस्पोंडेण्ट्स की खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट्स का उक्त भूमि में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को अतिचारी मानते हुई उक्त भूमि पर से बेदखल कर शास्ति कायम की है।

अभिभाषक अपीलान्ट्स का तर्क है कि रेस्पोंडेण्ट को दिनांक 20.07.1971 को खसरा नम्बर 139/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके ग्राम दत्तवास में आवंटन हुई थी। आवंटन के विरुद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) का आवेदन किया था। वर्तमान में भी उक्त वाद न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन है, परन्तु इसकी तायद में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोंडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 139/1 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम दत्तवास पर गेहूँ, सरसो, चना व जौ की फसल काशत कर अतिक्रमण किया जाना पटवारी हल्का कि रिपोर्ट से जाहिर है तथा इससे सिद्ध है कि अपीलान्ट्स रेस्पोंडेण्ट्स की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से काबिज है। अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। उक्त विवेचन से अपीलान्ट्स का रेस्पोंडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा काशत है जो राज० काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 14.03.2015 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गापाल)
जिला कलेक्टर
टॉक